न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :– 375/23 (धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956) (RCMS No.2023/400)

1. मुराद शाह पुत्र अमीर शाह उम्र 60 वर्ष
2. सत्तार शाह पुत्र अमीर शाह उम्र 55 वर्ष
3. गफ्फार शाह पुत्र अमीर शाह उम्र 50 वर्ष
4. फरियाद शाह पुत्र अमीर शाह उम्र 45 वर्ष
5. चन्दी पत्नी अमीर शाह उम्र 88 वर्ष जातियान मुसलमान निवासीयान आलनपुर तहसील व जिला सवाई माधोपुर

....................अपीलान्ट

बनाम

1. जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सवाई माधोपुर।
2. सरकार जरिये तहसीलदार, सवाई माधोपुर।

....................रैस्पोडेन्ट

अपील बनाराजगी निर्णय दिनांक 06.08.88 आवंटन अधिकारी जिला कलक्टर सवाई माधोपुर क्रमांक 4, 3/2/12/68/राज/88/4525 आवंटित कृषि भूमि साविक खसरा नंबर 699/1/1 रकबा 50 बीघा 12 बिस्वा किस्म चारागाह में से 2 बीघा राजस्व ग्राम आलनपुर तहसील सवाई माधोपुर

उपस्थितिः–

श्री जगदीश प्रसाद शर्मा वकील अपीलान्ट।

निर्णय

दिनांकः– 28.12.2023

उक्त अपील एल.आर.एक्ट की धारा 75 के अन्तर्गत जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित आदेश दिनांक 06.08.88 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि जिला कलक्टर सवाई माधोपुर द्वारा ग्राम आलनपुर तहसील सवाई माधोपुर के साविक खसरा नंबर 699/1/1 रकबा 50 बीघा 12 बिस्वा किस्म चारागाह में से 2 बीघा भूमि जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी सवाई माधोपुर के पक्ष में आवंटित की गई है। रैस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटित भूमि पर अपीलान्ट का कब्जाकाश्त होने व अपीलान्ट के स्वामित्व व आधिपत्य की कृषि भूमि के मध्य में होने के कारण अपीलान्ट उक्त आवंटन से प्रभावित है। इसलिए जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से किये गये उक्त आवंटन के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रैस्पोडेन्ट की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली तलब की गई। अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली प्राप्त होने पर अपील में बहस सुनी गई। वक्त बहस रैस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं। वकील अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि अपीलाधीन आवंटन आदेश दिनांक 06.08.88 विधिविरूद्ध एवं तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। जिला कलक्टर सवाई

माधोपुर द्वारा अपीलाधीन आवंटन आदेश जारी करने से पूर्व किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। विवादित भूमि अपीलान्ट के स्वामित्व तथा आधिपत्य की कृषि भूमि के बीच में स्थित है। अपीलान्टस ने सम्पूर्ण खातेदारी की भूमि को एक चक में बना रखा है। जिसकी पुष्टि अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत ट्रेस शीट से भलीभांति हो रही है। अपीलान्टस के स्वामित्व की कृषि भूमि साविक खसरा नंबर 669, 670 की डिकी दिनांक 21.09.99 के आधार पर नामान्तकरण संख्या 2563 दिनांक 11.12.2019 को स्वीकृत हुआ था। इस नामान्तकरण के विरूद्ध जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के न्यायालय में अपील संख्या 3/20 उनवानी राजेन्द्र बनाम मुरादशाह वगैराह के नाम से पेश की गई थी। जिसका दिनांक 11.03.2020 को निर्णय हो गया। जिला कलक्टर सवाई माधोपुर ने उक्त प्रकरण में तहसीलदार सवाई माधोपुर से मौका रिपोर्ट तलब की थी। दिनांक 02.03.2020 को पटवारी हल्का के विवादित भूमि पर आने पर अपीलान्ट को सर्वप्रथम जानकारी हुई कि विवादित भूमि हाल खसरा नंबर 2109 रकबा 0.43 है0 भूमि समाज कल्याण विभाग के नाम दर्ज है। इस पर अपीलान्टस ने दिनांक 24.06.2020 को आधार जमाबन्दी सम्वत 2059 की खाता संख्या 569 की नकल प्राप्त की। इसके बाद दिनांक 06.08.1988 को किये गये आवंटन आदेश की नकल हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया। इस आदेश की नकल दिनांक 03.07.2020 को प्राप्त होने पर जानकारी की तिथि से अन्दर मियाद अदालत हाजा में अपील पेश की गई है। रैस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटित भूमि पर अपीलान्टस का कब्जा होने के बावजूद भी जिला कलक्टर सवाई माधोपुर ने आवंटन करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया और न ही विवादित भूमि से अपीलान्ट को बेदखल किया गया। अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने के कारण निरस्तीनय है। रैस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटित भूमि हाल खसरा नंबर 2109 रकबा 0.43 है0 अपीलान्टस के स्वामित्व की कृषि भूमि खसरा नंबर 2115, 2116, 2117, 2118, 2109/2145, 2110/2146, 2111, 2112, 2113, 2114, 2119, 2120, 2121 की भूमि स्थित है। विवादित भूमि खसरा नंबर 2109 अपीलान्टस की खातेदारी की भूमि के बीच में स्थित है। जिस पर अपीलान्टस का पूर्वजों के समय से ही भौतिक कब्जा चला आ रहा है, परन्तु जिला कलक्टर ने आवंटन करने से पूर्व इस तथ्य पर गौर नहीं किया। मौके पर हाल खसरा नंबर 2109 में पुख्ता मकान बने हुए हैं। इसलिए उक्त भूमि आवंटन योग्य नहीं थी। इसके बावजूद रैस्पोडेन्ट के पक्ष में नियम विरूद्ध आवंटन किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर जिला कलक्टर सवाई माधोपुर द्वारा रैस्पोडेन्ट के पक्ष में दिनांक 06.08.1988 को ग्राम आलनपुर के सावित खसरा नंबर 699/1/1 रकबा 50 बीघा 12 बिस्वा में से 2 बीघा भूमि जिसके हाल खसरा नंबर 2109 रकबा 0.43 है0 का आवंटन निरस्त किया जावे तथा उक्त भूमि अपीलान्टस के हक में नियमन किये जाने का आदेश पारित किया जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपरोक्त प्रकरण में अपीलान्ट के द्वारा अपीलाधीन आवंटन आदेश दिनांक 06.08.1988 के विरूद्ध अदालत हाजा में दिनांक 09.07.2020 को अपील पेश की गई है, जो कि मियाद बाहर पेश किये जाने के कारण अपीलाधीन निर्णय के गुणावगुण पर विचार किये जाने से पूर्व मियाद संबंधी बिन्दु पर निर्णय किया जाना आवश्यक है। अपीलान्टस की ओर से अपील को पेश करने में हुए विलम्ब के संबंध में मीमो आफ

न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

अपील के साथ दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र पेश किया गया है। जिसमें अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 02.03.2020 को पटवारी हल्का के मौके पर आने पर होने व जानकारी होने के बाद नकल हेतु आवेदन करने व नकल प्राप्त होने के बाद अन्दर मियाद अपील पेश किये जाने का उल्लेख किया गया है तथा अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कंडोन किये जाने का अनुरोध किया है। अपीलान्टस की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र का रैस्पोडेन्ट की ओर से कोई जवाब पेश नहीं किया गया और न ही कोई काउन्टर शपथ पत्र ही पेश किया गया। जिससे यह स्पष्ट होता हो कि अपीलान्टस को अपीलाधीन आवंटन आदेश की जानकारी प्रार्थना पत्र में वर्णित दिनांक के पूर्व से रही हो। वैसे भी माननीय राजस्व मण्डल व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा कई नजीरों में इस तरह के सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं कि अपीलीय न्यायालय को मियाद संबंधी बिन्दु पर उदार रूख रखना चाहिए तथा तकनीकी बिन्दु पर अपील को खारिज करने से बचना चाहिए। उक्त प्रकरण मे अपीलान्टस की ओर से अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कंडोन किये जाने हेतु दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र पेश किया गया है व इसके विपरित कोई दस्तावेज हमारे समक्ष उपरोक्त प्रकरण में प्रस्तुत नहीं हुए हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

जहां तक अपीलाधीन आवंटन आदेश के गुणावगुण का प्रश्न है तो उक्त प्रकरण में समाज कल्याण विभाग की ओर से जिला कलक्टर सवाई माधोपुर को पत्र क्रमांक 1629 दिनांक 26.04.88 के द्वारा अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु छात्रावास हेतु भूमि आवंटित किये जाने हेतु पत्र लिखा गया। जिसके साथ नगर परिषद सवाई माधोपुर, सार्वजनिक निर्माण विभाग के पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई। तहसीलदार सवाई माधोपुर द्वारा उक्त छात्रावास के लिए ग्राम आलनपुर के आराजी खसरा नंबर 699/1/1 रकबा 50 बीघा 12 बिस्वा में से 2 बीघा भूमि आवंटित किये जाने हेतु उप जिला कलक्टर सवाई माधोपुर को पत्र लिखा गया। जिसे उप जिला कलक्टर सवाई माधोपुर ने अपनी अभिशंषा के साथ जिला कलक्टर सवाई माधोपुर को प्रेषित किया। उक्त प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद जिला कलक्टर सवाई माधोपुर द्वारा आयुक्त नगर परिषद सवाई माधोपुर से अनापत्ति प्राप्त करने के बाद अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.08.1988 को जारी किया गया। जिसमें कस्बा आलनपुर के खसरा नंबर 699/1/1 रकबा 50 बीघा 12 बिस्वा में से दो बीघा भूमि अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रावास भवन निर्माण हेतु आवंटित की गई। उक्त आवंटन आदेश के आधार पर दिनांक 22.08.88 को आवंटित भूमि का कब्जा भी रैस्पोडेन्ट के प्रतिनिधि द्वारा लिया गया। जिसकी रिपोर्ट तहसीलदार सवाई माधोपुर द्वारा जिला कलक्टर सवाई माधोपुर को अपने पत्र दिनांक 02.09.88 के द्वारा प्रेषित की गई। जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से किये गये आवंटन की राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप-3) विभाग के शासन उप सचिव के पत्र दिनांक 05.12.88 के द्वारा राज्य सरकार की स्वीकृति जिला कलक्टर को प्रेषित की गई। इसके बाद रैस्पोडेन्ट हेतु आवंटित भूमि छात्रावास निर्माण कार्य किये जाने में व्यवधान किये जाने पर अन्य भूमि आवंटित किये जाने हेतु जिला कलक्टर सवाई माधोपुर को पत्र दिनांक 14.09.89 लिखा गया। जिसके संबंध में जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पुनः ग्राम ठींगला तहसील सवाई माधोपुर की चारागाह भूमि खसरा नंबर 537/1 रकबा 21 बीघा 2 बिस्वा में से 2 बीघा भूमि आवंटित की गई। इस भूमि का भी रैस्पोडेन्ट को कब्जा दिनांक 07.10.89

न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त, भरतपुर संभाग, भरतपुर

को संभलाया गया। राज्य सरकार की ओर से उक्त आवंटन आदेश का भी पत्र क्रमांक 26.04.91 के द्वारा पुष्टि की गई। जिला कलक्टर सवाई माधोपुर द्वारा रैस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में पूर्व में आवंटित भूमि दिनांक 06.08.88 को निरस्त किये जाने का कोई रिकार्ड अपीलाधीन आवंटन संबंधी पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में 1 ही संस्था को 2 जगह भूमि आवंटित किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। इस आधार पर अपीलाधीन आवंटन दिनांक 06.08.88 को उचित नहीं कहा जा सकता है। जहां तक अपीलान्ट के खातेदारी भूमि के मध्य में उक्त भूमि होने का प्रश्न है तो उक्त भूमि की किस्म चारागाह होने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत चारागाह भूमि न तो आवंटित हो सकती है और न ही नियमन किया जा सकता। इसलिए अपीलान्ट की ओर से चाहा गया यह अनुतोष की विवादित भूमि का नियमन अपीलान्ट के पक्ष में किया जावे दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण जिला कलक्टर सवाई माधोपुर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि रैस्पोडेन्ट संख्या 1 जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी सवाई माधोपुर को अनुसूचित जाति के छात्रों के छात्रावास निर्माण हेतु अपीलाधीन आवंटन आदेश दिनांक 06.08.88 के द्वारा आवंटित की गई भूमि के स्थान पर उनके आदेश दिनांक 20.09.89 के द्वारा आवंटित भूमि पर यदि छात्रावास का निर्माण हो गया हो तो उक्त आवंटन को निरस्त किये जाने का आदेश जारी करें तथा साविक खसरा नंबर 699/1/1 रकबा 2 बीघा जिसका की अपीलान्ट के अनुसार हाल खसरा नंबर 2109 रकबा 0.43 है0 है, का कब्जा प्राप्त कर पुनः चारागाह में दर्ज किये जाने की कार्यवाही करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 28.12.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/12/2023

(साँवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर